आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–63 / 2023	
11.01.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह दूरभाष के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग ने अपने पिछले सुनवाई में यह निर्देश दिया था कि अपीलकर्ता द्वारा भेजे गए आपत्ति पत्र की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को भेज दी जाए, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपरोक्त प्रतिवेदन वाट्सएप्प के माध्यम से नहीं भेजे जा सका। आज की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी को शिकायतकर्ता के प्रतिवेदन की प्रति हाथों–हाथ उपलब्ध कराई जा रही है एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वे शिकायतकर्ता के प्रतिवेदन में उठाये गये बिन्दुओं के विरूद्ध अपना पक्ष अगली सुनवाई में रखें। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक– 30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–30.01.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx144	